

प्रमुख नियन्त्रक, कोष नियन्त्रक तथा नियन्त्रकलाई अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकेकोले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

- | | |
|----------------|-------------------|
| १. ताप्लेजुङ | २. पाँचथर |
| ३. संखुवासभा | ४. तेह्रथुम |
| ५. भोजपुर | ६. ओखलढुङ्गा |
| ७. सोलुखुम्बु | ८. खोटाङ |
| ९. रामेछाप | १०. दोलखा |
| ११. धादिङ | १२. सिन्धुपाल्चोक |
| १३. रसुवा | १४. मनाङ |
| १५. लमजुङ | १६. गुल्मी |
| १७. अर्घाखाँची | १८. म्याग्दी |
| १९. पर्वत | २०. मुस्ताङ |
| २१. बाग्लुङ | २२. रोल्पा |
| २३. रूकुम | २४. जाजरकोट |
| २५. दैलेख | २६. कालीकोट |
| २७. मुगु | २८. हुम्ला |
| २९. डोल्पा | ३०. जुम्ला |
| ३१. बाजुरा | ३२. डोटी |
| ३३. बझाङ | ३४. अछाम |
| ३५. दार्चुला | ३६. बैतडी |

आज्ञाले,
लोकबहादुर श्रेष्ठ
श्री ५ को सरकारको सचिव

सूचना २

श्री ५ को सरकारले विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को “सामाजिक सेवा मन्दिर” भवन निर्माण कार्यार्थ आवश्यक रु. ४,०३,३६२।५० बराबरको गोदावरी मार्बलमा लाग्ने विक्रीकर पूर्ण छूट दिने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

२८९ (३)
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।